



राजस्थान-सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक :- एफ.27(333)/ई-5/2020-2021/

दिनांक :-

:- अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 04/2020-2021 :-


राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपकरण मशीनरी साजो-सामान, फर्नीचर इत्यादि की आपूर्ति करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/निर्माता/प्राधिकृत डीलर/ डीलर/सोल विक्रय/ विपणन एजेंट से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत रूपये 308.00 लाख की ऑन लाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

आईटम संख्या	निविदा का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रूपयों में	निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	प्रोसेसिंग शुल्क (अप्रतिदेय) रूपयों में	निविदा डाउनलोड प्रारम्भ की दिनांक व समय	निविदा अपलोड करने एवं कॉलम संख्या 6, 7 में अंकित शुल्क ई-चालान से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4		6	7	8	9	10
1	इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से सम्बन्धित उपकरण	अनुसार	200.00	₹ गयी	400	1000	25.01.2021 06.00PM	08.02.2021 6.00PM	09.02.-2021 11.00AM
2	कम्प्यूटर ब्रांच से सम्बन्धित उपकरण	निविदा प्रपत्र अनुसार	60.00	₹ छूट	400	1000	25.01.2021 06.00PM	08.02.2021 6.00PM	09.02.-2021 11.00AM

आवश्यक शर्तें एवं निर्देश :-

- निविदा अपलोड करने एवं कॉलम संख्या 6 में दर्शायी निविदा शुल्क, एवं कॉलम संख्या 7 में दर्शायी प्रोसेसिंग शुल्क ई-चालान से जमा करने की अन्तिम दिनांक व समय कॉलम संख्या 09 अनुसार रहेगी।
- विभिन्न निविदाओं के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण उपकरण के पूर्ण स्पेशिफिकेशन कार्यालय समय में वेब साईट [www.dte.rajasthan.gov.in](http://www.dte.rajasthan.gov.in), [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org) एवं [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) (पोस्टल अधिनियम) पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र को वेब साईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड/अपलोड किया जा सकता है।
- ऑन लाईन निविदा प्रक्रिया में वे ही संवेदक भाग ले सकेंगे जिनके पास Digital Signature Certificate होने के साथ ही उक्त वेब साईट पर पंजीकृत होंगे।
- कॉलम संख्या 6 एवं 7 अनुसार में दर्शायी गयी राशि निविदा शुल्क, ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क e-GRAS Challan द्वारा निर्धारित समय तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा नहीं खोलने की पूर्ण जिम्मेवारी फर्म की होगी।
- किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा शुद्धिकरण की नवीनतम जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने वाले निविदादाता नियमित रूप से उक्त वेब साईट का अवलोकन करते रहे।
- क्रयादेश में वर्णित संस्थाओं में आपूर्ति 30 दिवस (अति आवश्यक होने पर आपूर्ति अवधि में कमी करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा) में करनी होगी। अन्यथा नियमानुसार एल. डी. चार्जज की कटौति की जायेगी।
- निर्धारित तिथियों को राजकीय अवकाश होने पर निविदाएँ उसके अगले कार्य दिवस को उक्त निर्धारित समय पर खोली जायेगी।
- राज्य में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 प्रभावशील हैं। अतः निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान एवं GF&AR के नियम लागू होंगे।

9. किसी भी निविदा को पूर्ण/आंशिक स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा में दर्शाये आईटमों की मात्रा एवं आपूर्ति अवधि घटाई/बढ़ाई जाने के समस्त अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेंगे। जिसके संबंध में फर्म से किसी प्रकार के प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निविदा के साथ दिये जाने वाले समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से भरे जायेंगे।
12. दरें, समस्त कर सहित एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त रहेगी।
13. निविदा के साथ दिये जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार पूर्ण भरे हुए एवं आवश्यकता अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न करें। अन्यथा निविदा खोलने के संबंध में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
14. अगर आपको क्रयादेश जारी किया जाता है तो क्रयादेश में वर्णित आपूर्ति अवधि में सामानो की आपूर्ति करावें। अगर किन्ही परिस्थितियों के दृष्टिगत आप समयावधि में आपूर्ति नहीं कर सकते है तो नियमानुसार आपूर्ति अवधि समाप्त होने से पहले विभाग को लिखित में सूचित करेंगे। अन्यथा संस्था प्रधान द्वारा आपूर्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। नियमानुसार निदेशालय द्वारा आपूर्ति अवधि बढ़ाने के पश्चात् ही सामानो की आपूर्ति करावें।
15. अगर फर्म मैन्यूफेक्चर है तो एस.एस.आई यूनिट का प्रमाण पत्र जिसमें किस आईटम के मैन्यूफेक्चर है संलग्न करे। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं किये जाने की पूर्ण जिम्मेवारी फर्म की होगी।
16. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र एफ2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 अनुसार प्रतिभूति राशि में छूट दी गयी है। निविदा दस्तावेजों के पेज नम्बर 40 पर संलग्न घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17. डाक द्वारा विलम्ब के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
18. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। विभाग की निविदा दस्तावेज की शर्तें लागू होगी।
19. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) रहेगा।
20. निविदा भरने में या किसी प्रकार का संशय होतो दूरभाष संख्या 0291-2434271, 2434395 पर प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक वार्ता कर सकते है।

  
 निदेशक, तकनीकी शिक्षा